

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता सं.01 के अधीन प्लॉट सं.318(07) रकबा - (1.16 एकड़) और खाता सं.01/44 प्लॉट सं.304(07) रकबा- (0.84 एकड़) कुल रकबा 2.00 एकड़ के तहत ग्राम: मसीलॉग थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी चाँदमुनि कुमारी (Chandmuni Kumari) पुत्री सवर्गीय पूरन गञ्जु (Late Puran Ganjhu) से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा की ग्राम: मसीलॉग थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी अधिगृहीत खाता सं.01 के अधीन प्लॉट सं.318(07) रकबा- (1.16 एकड़) और खाता सं.01/44 प्लॉट सं.304(07) रकबा - (0.84 एकड़) कुल रकबा 2.00 एकड़ के तहत ग्राम: मसीलॉग थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी चाँदमुनि कुमारी (Chandmuni Kumari) पुत्री सवर्गीय पूरन गञ्जु (Late Puran Ganjhu) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

